अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में स्वीकृत रास्ता को सहमति से निरस्त करवाने पर निरस्त किया जाता है। स्वीकृत रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे व जो रास्ता निरस्त किया गया है उसे राजस्व रिकार्ड में आराजी राज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है कि चक नम्बर 13 जीजीआर के प.नं. 187/282 मु.नं. 68 कि.नं.1 ता 5 प्रत्येक में .025 है.,प.नं. 188/282 मु.नं. 69 कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. गैर मुमकिन रास्ता मन्जूर शुदा है तथा मौके पर बन्द है को निरस्त किया जाकर आराजी राज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसकी एवज में इसी चक के प.नं.189/282 मु.नं.61 कि.नं. 1,10,11 व प.नं. 188/281 मु.नं. 62 के.नं. 16 व 25/2 व प.नं. 188/282 मु.नं. 69 कि.नं. 5,6,15,16,25 में मौके पर लगभग 8 फुट रास्ता चालू है जो निकटतम दूरी का है को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने व निरस्त किये गये रास्ता के रकबा को आराजी राज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को पालनार्थ अलग से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.2.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उम्मेदसिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

Scanned by CamScanner